न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –02/2025 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0 2025/47

किशनलाल पुत्र श्री गणपत जाति माली निवासी ग्राम लसेडिया कलां, तहसील सांगोद जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार, जर्ये तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा राज0
2. ग्राम पंचायत कमोलर, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा जर्ये सचिव,

–––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,188 रा0टी0एक्ट वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. श्री जितेन्द्र चौरसिया, अभिभाषक प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 20.05.2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 रा0टी0ए0 का इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,136,188 रा0टी0एक्ट एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टी0ए0 का उपखण्ड अधिकारी सांगोद में खसरा नम्बर 410 रकबा 0.61 हे0 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है । उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ना तो उचित प्रकार से सुनवाई की जा रही है और ना ही कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कमोलर पक्षकार है तथा उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ग्राम पंचायत कमोलर के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण की सुनवाई में देरी की जा रही है । इस कारण प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सांगोद से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है, इस कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी कोटा अथवा सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा में ट्रांसफर करवाकर उक्त प्रकरण की सुनवाई कोटा में करवाना चाहता है । जिससे की प्रार्थी को न्याय मिल सकें ।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये। पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी प्राप्त की गई । वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई ।
3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ना तो उचित प्रकार से सुनवाई की जा रही है और ना ही कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कमोलर पक्षकार है तथा उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ग्राम पंचायत कमोलर के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण की सुनवाई में देरी की जा रही है । जबकि उक्त प्रकरण से संबंधित कृषि भूमि में ग्राम पंचायत कमोलर से मिलीभगत करके कुछ ग्रामवासियों ने मंदिर के नाम पर एक समिति बनाकर चारागाह भूमि के सथ साथ प्रार्थी के खाते की भूमि पर भी कब्जा करके चार दिवारी का निमार्ण कर लिया है । जबकि उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा उक्त भूमि पर दिनांक 13.7.2021 से ही स्थगन आदेश पारित कर रखा है जो आज भी प्रभावी है परन्तु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा मिलीभगत करके विचाराधीन

जिला कलक्टर
कोटा

प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इस कारण प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सांगोद से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है, प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर लगभग 50 वर्षों से काबिज काश्त है, परन्तु रंजिशवश ग्राम पंचायत कमोलर के माध्यम से प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि पर जबरदस्ती निमार्ण कार्य करवाया जा रहा है, प्रार्थी 85 वर्षीय बुजुर्ग एवं गरीब व्यक्ति है तथा चलने फिरने में असमर्थ है, प्रार्थी के द्वारा विरोध करने पर ग्राम पंचायत कमोलर के सरपंच के पति तनुज गौत्तम पुत्र देवानन्द गौत्तम प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां देता है तथा प्रशासन के साथ मिलीभगत करके गरीब एवं असहाय व्यक्तियों से चौथ वसूली एवं अन्य प्रकार से परेशान करता चला आ रहा है इस कारण प्रार्थी का सांगोद में न्यायालय में जाकर अपने मुकदमें उपस्थित होना मुश्किल हो गया है तथा प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवाई कोटा में करवाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या वाद पत्र 15/21 एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0टी0एक्ट 2/2021 उनवान प्रकरण किशनलाल बनाम सरकार उपखण्ड अधिकारी सांगोद से उपखण्ड अधिकारी कोटा अथवा सहायक कलक्टर कोटा में ट्रांसफर किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

4. अप्रार्थी नं0 1 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांगोद से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 17.4.2025 में अंकित तथ्यानुसार कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्व उपखण्ड अधिकारी सांगोद का माह फरवरी 2025 में स्थानान्तरण हो चुका है तथा वर्तमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.3.2025 एवं 16.4.2025 को पेश हुई थी जिसमें पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 के जवाब हेतु नियत थी । पत्रावली में न्यायिक प्रकिया अपनायी जाकर ही प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है । ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

5. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीया उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सांगोद में विचाराधीन वाद सं0 15/2021 एवं 212 प्रार्थना संख्या 2/2021 उनवान किशनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगै0 को सांगोद से कोटा में एसडीओ अथवा एसीईएम न्यायालय में स्थानांन्तरित कराना चाहते है । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त वाद पत्रों को कोटा स्थानान्तरिण हेतु मुख्य कारण बताया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ना तो उचित प्रकार से सुनवाई की जा रही है और ना ही कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कमोलर पक्षकार है तथा उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ग्राम पंचायत कमोलर के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण की सुनवाई में देरी की जा रही है आदि तथ्य अंकित किये है । जबकि उपखण्ड अधिकारी सांगोद ने अपने पत्रांक/664 दिनांक 17.4.2025 में टिप्पणी की है कि पूर्व उपखण्ड अधिकारी का माह फरवरी 2025 में स्थानान्तरण हो चुका है वर्तमान में पत्रावली ऑर्डर 7 रूल्स 11 के जवाब हेतु नियत है तथा पत्रावली में न्यायिक प्रक्रिया अपनायी जाकर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है । उपखण्ड अधिकारी सांगोद से प्राप्त टिप्पणी से हम सहमत है, पक्षकारान सांगोद के ही है तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है जिनसे प्रार्थी को आपत्ति थी, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी सांगोद में विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक कोटा में स्थानान्तरण कराने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । साथ ही उपखण्ड अधिकारी सांगोद को आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में विधिवत शीघ्र सुनवाई करते हुए नजदीकी तारीख पेशी नियत की जाकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा